dk;ky; ifyl v/kh{kd tuin xk.Mk fnukd 30-08-2022

'kkfrHkx dh vk'kdk d eíutj ifyl }kjk dh x;h dk;okgh&

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–05 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 okjVh vfHk;ä fxj¶rkj&

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना नवाबगंज पुलिस ने 01, थाना मनकापुर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

vo/k 'kjkc d fu"d"k.k] fcØh o ifjogu d fo#) tuinh; ifyl }kjk dh xbl dk;okgh&

01- Fkkuk [kkMkj }kjk dh x;h dk;okgh&

01. सवीन्द्र पुत्र बरबूंदी नि0 गायघाट खुटिहन थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–144/22, 02. गोवर्धन पुत्र छोटे लाल नि0 खोजवा परसा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–146/22, 03. पुनीत कुमार पुत्र छोटेलाल नि0 लक्ष्मीनगर ग्रन्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–147/22, 04. कृशण कुमार पुत्र राजजियावन नि0 केशवनगर ग्रन्ट पूर्वी थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–148/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02- Fkkuk rjcxt }kjk dh x;h dk;Okkgh&

01. रामपदारथ साहू पुत्र रामधीरज नि0 ग्राम अकबरपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–326/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03- Fkkuk ekrhxt }kjk dh x;h dk;Okkgh&

01. प्रदीप कुमार पुत्र देवी प्रसाद नि0ग्राम केवलपुरा मौजा पेड़ारन थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–207/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04- Fkkuk eudkij }kjk dh x;h dk;Okkgh&

01. मातादीन पुत्र स्व0 तीरथ नि0 ग्राम बरदही थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–354/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 30.08.2022

लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।
उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त- अजय को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के भाई द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01- अजय पुत्र भगौती प्रसाद नि0 कूढा थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0-90/2022 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पॉक्सो ऐक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 अवधेश यादव मय टीम।